न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/47/2024	2024/122	16.05.2024	30.03.2026

1. यशवन्त सिंह पुत्र गोविन्दलाल जाति अहीर ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड। (मृतक)
   1/1 श्रीमति बनारसी देवी पत्नि स्व० श्री यशवंत सिंह
   1/2 कैलाश चंद पुत्र स्व० श्री यशवंत सिंह
   1/3 हेमन्त यादव पुत्र स्व० श्री यशवंत सिंह
   1/4 संगीता पुत्री स्व० श्री यशवंत सिंह
   1/5 सरिता पुत्री स्व० श्री यशवंत सिंह
   जाति अहीर निवासी ग्राम रामपुर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
2. अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, कमलादेवी पत्नी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद, ब्रजेश कुमार पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद, योगेश पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद जाति अहीर निवारी ग्राम रामपुर तहसील बानूसर जिला कोटपूतली बहरोड।

–प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर राजस्थान।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यान्वयन ईकाई सोहना (हरियाणा)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील प्रार्थी
02. श्री मोहनसिंह चौधरी –वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) (1) (2) एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवंम प्रारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत संशोधित मुआवजा राशि मय ब्याज प्रदान किये जाने बाबत पेश किया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब प्राप्त किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 807 (रकबा 0.4470 है०) व खसरा नं0 806 (रकबा 0.0070 है०) भूमि वाकै जो अवाप्त की गई है, ग्राम रायबका तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त भूमि पनियाला बडौदा मेव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–148 बी में अधिग्रहण की गई है। उक्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–A की उपधारा–1 के अधीन भारत सरकार के सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या–4162 (अ) दिनांक 08–10–2021 को भारत के

राजपत्र में प्रकाशित की गई है। जिसका समाचार पत्रों में दिनांक 30.10.2021 एवं 1.03.2022 को प्रकाशन किया गया। केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3 व के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–का.आ. 3930 (अ) दिनांक 22.08.2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की गई। उक्त भूमि का अवार्ड भी दिनांक 07.01.2023 को जारी हो चुका है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त आराजी सडक से दूर दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता में उक्त आराजी सडक के पास स्थित है। जो भूमि सडक से दूर है उसकी डी एल सी रेट कम है जबकि जो भूमि सडक के पास है उसकी डी एल सी रेट अधिक है। चूंकि प्रार्थी की भूमि सडक के पास में होने के कारण डी एल सी रेट अधिक है किन्तु भूमि अधिग्रहण की सूचना के अनुसार उक्त आराजी सडक से दूर दर्शाये जाने के कारण डी एल सी रेट कम दर्शायी गई है। जिससे प्रार्थीगण के मुआवजे में काफी अन्तर आ रहा है तथा मुआवजा राशि अधिक बनती है। उक्त आराजी खसरे जिस रोड पर स्थित है वह 50 वर्ष पुराना है और रेवन्यू नक्शे में 60 फुट चौडा रोड है। और मौके पर तीन ग्राम पंचायत तूलेडा, रायबका व ककराली मेव को जोडता है। उक्त भूमि की डी एल सी श्रेणी मौके के अनुसार सही प्रकाशित नहीं की गई है तथा मौके के अनुसार अगर डी एल सी श्रेणी निर्धारित की जाती है तो प्रार्थीगण का मुआवजा राशि की गणना अधिक होती है। उक्त उज्जजारी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने के कारण आपके यहाँ उज्जदारी प्रस्तुत की जा रही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त भूमि की डी एल सी श्रेणी रोड के पास करने की कृपा करें जिससे की हमको हमारी भूमि का वास्तविक मुआवजा राशि प्राप्त हो सके। तथा प्रकरण आर्बिट्रेशन अधिकारी को वास्तविक मुआवजा राशि तय करने के लिए भिजवाया जाये।

अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मदानुसार जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत करता है:–

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य जिस प्रकार लिखे गये हैं गलत हैं एवं स्वीकार नहीं है। यह भी गलत है कि मुआवजा राशि का निर्धारण किसी नियम अनुसार गलत हो अथवा विधि के किसी प्रावधान के विरूद्ध हो। सही तथ्य यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3–A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया सही व उचित किया गया है।

यह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरेखण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148–बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच–148एन) के राज्यमार्ग–14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक), पनियाला–अलवर–बरोदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग (इंटर कॉरिडोर रूट), के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3क के अन्तर्गत अधिसूचना का. आ. 3920 (अ) दिनांक 22.08.2022 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित निम्न भूमिः–

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
806	निजी	चाही 3	0.007
807	निजी	चाही 3	0.447

वाके ग्राम रायबका तहसील अलवर जिला अलवर सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहत हो चुकी है। शेष अस्वीकार एवं गलत है। यह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ) दिनांक 15.02.2022 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 15.02.2022 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस और राजस्थान पत्रिका में दिनाक 01.03.2022 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा–3D के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 3920 (अ) दिनांक 22.08.2022 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित किया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(G) में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G की उपधारा–1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा धारा–3D की अधिसूचना की लोक सूचना (Public Notice) जो कि दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस दोनों में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित की गयी। उक्त लोक सूचना (Public Notice) द्वारा सम्बन्धित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा–3G (3) व (4) के अन्तर्गत स्वंय या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत ग्राम–रायबका की अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू–स्वामियों द्वारा दावे प्रस्तुत किया गया। जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई कर निस्तारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 41 दिनांक 07.01.2023 को पारीत कर दिया गया। स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7, 8, 9 10 व 11 जिस प्रकार तहरीर एवं तकमील की गई है, गलत है व स्वीकार नहीं है। सही तथ्य यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राश्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3–क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विकय–पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। जो कि निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	ग्राम का नाम	भूमि की किस्म	अधिकतम दर के 50 प्रतिशत विक्रय पत्रों की औसत दर रू. (प्रति है0)		डी.एल.सी दर (प्रति हैक्टेयर) 2021–2022			
					रोड के निकट		रोड से दूर	
					सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	रायबका	कृषि	19,42,485/–		49,49,064/–	22,55,049/–	31,50,180 /–	
अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु चयनित देरें				कृषि	49,49,064/–	22,55,049/–	31,50,180 /–	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उपरोक्तानुसार अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3। की दिनांक की प्रभावी खसरा नम्बर 806 एवं 807 सिंचित भूमि की रोड से दूर की चयनित बाजार दर रुपये 31,50,180/– प्रति हैक्टेयर के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि की रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–26 की उपधारा–2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना सं० प.1 (3) राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपठित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (3) राज. 6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम् शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह निम्न अनुसार होगाः–

शहरी क्षेत्र से दूरी	**गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे**
0–10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों की अधिनिर्णित भूमि के लिये गुणांक निम्न प्रकार निर्धारित की गयीः–

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका से दूरी (कि.मी.)	लागू गुणांक
अलवर	अलवर	रायबका	नगर परिषद अलवर	8.75	1.25

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम नगर परिषद अलवर से दूरी (कि.मी.) 8.75 किलोमीटर मानते हुए 0 कि.मी. से अधिक व 10 कि.मी. तक के लिए 1.25 का गुणक लगाया। लगाया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध जो गुणक निर्धारित किया गया है एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium), एवं RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानोंनुसार धारा 3–A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 कानूनी है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A, B, C, D, E, F, G एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकॉर्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अतः अप्रार्थी संख्या 2 परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सोहना की ओर से उत्तर प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड रिकार्ड एवं मौके की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3A, B, C, D, E, F, G एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है वह विधि के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से लिखित जवाब/बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की है:–

1. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
2. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
3. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
4. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
5. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
6. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
7. उप पंजीयक, अलवर–प्रथम का पत्रांक 484 दिनांक 02.12.2021 से प्राप्त डी.एल.सी. की सूचनानुसार ही अधिनिर्णय जारी किया गया है। इस बिन्दु के शेष अभिकथन सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है।
8. कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
9. बिन्दु 7 के अनुसार
10. बिन्दु 7 के अनुसार
11. बिन्दु 7 के अनुसार
12. कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, माननीय ऑबिट्रेटर से संबंधित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की लिखित/मौखिक बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूमि वाके ग्राम रायबका तहसील व जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 807 (रकबा 0.4470 है०) व खसरा नं0 806 (रकबा 0.0070 है०) किस्म चाही 3 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148–बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच–148एन) के राज्यमार्ग–14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक), पनियाला–अलवर–बरोदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्स लेन राजमार्ग में अवाप्त की गई। अवाप्ताधीन भूमि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3ए के तहत प्रकाशन दिनांक 15.02.2022 को किया गया एवं 3डी अधिसूचना संख्या 3920(अ) दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशन की गई। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा आराजी खसरा नं. 807 (रकबा 0.4470 है०) व खसरा नं0 806 (रकबा 0.0070 है०) किस्म चाही 3 सड़क से दूर डीएलसी दर गुणांक के आधार पर मुआवजा राशि मय सोलेरियम व ब्याज का अवॉर्ड पारित किया गया। प्रार्थी उक्त मुआवजा राशि से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः मूल्य निर्धारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 807 (रकबा 0.4470 है०) व खसरा नं0 806 (रकबा 0.0070 है०) किस्म चाही 3 रोड से दूर का मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। जबकि उक्त दोनों खसरा नं. राजस्व रिकार्ड नक्शे में 60 फुट चौडा रोड दर्शाया हुआ है। परन्तु सक्षम प्राधिकारी भूमि आवप्ति अधिकारी द्वारा सड़क से दूर डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि की गणना की जाकर प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति पहुंचायी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर सड़क के पास डीएलसी दर से गणना कराई जाकर मुआवजा राशि दिलवायी जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के द्वारा पारित अवॉर्ड अधिनिर्णय–आदेश क्रमांक 41 दिनांक 07.01.2023 का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि विवादित आराजी खसरा नं. 807 (रकबा 0.4470 है०) व खसरा नं0 806 (रकबा 0.0070 है०) किस्म चाही 3 के मुआवजा राशि का निर्धारण उपपंजीयक अलवर प्रथम के पत्रांक 484 दिनांक 02.12.2021 से प्राप्त डीएलसी दर के अनुसार एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जिसमें उक्त आराजी सडक से दूर दर्शायी गई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ही सक्षम प्राधिकारी भूमि आवप्ति एवं अति० जिला कलक्टर प्रथम अलवर के द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की द्वारा 3जी के तहत आवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीलएसी दर के आधार पर की गई हैं। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि आवाप्त अधिकारी द्वारा तत्समय धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक पर प्रचलित बाजार की डीएलसी दर रूपये 31,50,180/– प्रति हैक्टैयर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर सोलेसियम 100 प्रतिशत एवं RFCTLARR ACT 2013 की द्वारा 69 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाकर दिनांक 07.01.2023 को अवॉर्ड पारित किया गया। उक्त पारित अवॉर्ड में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत् खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान

न्यायालय जिला कलक्टर * अलवर (राज०) *